

पत्रावली कायम कोर्ट जूडिश में पेश हुई।
 पत्रावली का अवलोकन किया गया। शपथ रिपोर्ट
 लम्बोन्दी सं. 2072-2075 ग्राम जूडिश के अनुसार
 ग्राम ख. नं. 599, 600, 601, 602, 815/8, 820 किला-6
 जूज रजि. नं. 7-49 ई. की स्वातंत्र्य इन्डामिंट सि.
 भगवतसिंह हि. 1/2 किशोरसिंह गुजानीसिंह सि. रेवतसिंह
 हि. 1/2 काम राधपुल सा. देह स्वातंत्र्य के नाम के दर्ज
 रिपोर्ट है। उक्त वारिस ग्राम संपुल स्वातंत्र्य
 ग्राम है तथा जूज का विधिवत विभाजन नहीं हो
 सका है। धारा 53 के प्रावधान अनुसार रिपोर्ट
 स्वातंत्र्य अपने हिस्से की जूज का विभाजन करवाने
 के अधिकारी है। उक्त में अतिवादी नं. 3 न तो
 स्वातंत्र्य दर्ज है तथा ~~किसी~~ पत्रावली में ऐसा
 कोई दस्तावेज रिपोर्ट पर है जिसके उनका हीनेका
 शामिल हो। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वादपत्र
 को कार्रवाई के किसी प्रकार को कोई अनुतोष प्राप्त
 करने के अधिकारी नहीं है।

आदेश

वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक
 डिडी इन आदेश की ही जारी है कि ग्राम जूडिश
 की स्तर 53 में स्थित ग्राम ख. नं. 599, 600, 601
 602, 815/8, 820 किला 6 जूज रजि. नं. 7-49 ई.
 में वादी एवं अतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य शपथ
 रिपोर्ट में दर्ज हिस्सा एवं काला के अनुसार शपथ
 का प्रावधान शपथ लेने हुए विधिवत विभाजन किसे
 करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार लक्ष्मीलक्ष्मी
 उदयपुरवादी उग्रयपहो की उपस्थिति में विभाजन
 प्रस्ताव लक्ष्मीलक्ष्मी तथा ग्राम नक्शा के दो प्रतिमा में
 न्यायालय हाथ में प्रस्तुत करें। डिडी पचास जारी हो
 पत्रावली के सल मुकर ले कर कम्प्ले के कम हो तथा
 न्यायिक दायर हो।

उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवादी (स. 5)